an>

Title: Regarding alleged violation of religious sentiments of Hindu Community in Uttar Pradesh.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदया, जीवन के श्रेष्ठ और वरेण्य जीवन मूल्यों को स्थापित करने की प्रेरणा हमें जिस धारणात्मक व्यवस्था से प्राप्त होती है, उसे हम धर्म कहते हैं। जिसे आविष्कृत और पुरस्कृत तथा प्रतिष्ठित करने में हमारे प्राचीन ऋषि, मुनियों और महापुरुषों तथा उनके द्वारा प्रतिस्थापित मठों और मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस संदर्भ में यदि हम कहें तो भारत की आत्मा धर्म में निवास करती है तथा धर्म के प्रतिस्ठापक हमारे ऋषि-मुनि और मठ, मंदिर हैं तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। धर्म की इस परम्परागत स्नातन महत्व को देखते हुए भारत के वर्तमान संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए कुछ अन्य मौलिक अधिकारों के साथ-साथ धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 25 एवं 26 में अंतःकरण की और धर्म को निर्बाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार की स्वतंत्रता तथा धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की स्वतंत्रता भी दी है। इसका उपयोग करते हुए हम न केवल धार्मिक स्वतंत्रता का वैधानिक उपयोग कर रहे हैं बल्कि अपने मठ-मंदिरों आदि को भी स्वतंत्रतापूर्वक स्थापित और संचालित कर रहे हैं। यद्यपि तुष्टीकरण और सैकुलरिज्म के शिकार कुछ सरकारों ने समय-समय पर हिंदुओं के मठ-मंदिरों की स्वतंत्रता के प्रति कुदृष्टि डालने का प्रयास किया है, जिसका व्यापक विरोध हुआ है।

महोदया, इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर मथुरा में श्री बांके बिहारी मंदिर और मिर्जापुर जनपद में श्री विंध्यांचल शक्तिपीठ के अधिग्रहण की कार्यवाही चल रही है जिसकी व्यापक प्रतिक्रिया वहां के स्थानीय संतों द्वारा, स्थानीय व्यापारियों के द्वारा और नागरिकों के द्वारा व्यापक स्तर पर हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के इस अधिकार के अंतर्गत हिंदू धर्म स्थलों को भी संरक्षण प्रदान किया जाए और अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस तरीके से जब कोई सरकार आती है, तो वह अपने तरीके से मठ-मदिरों की स्वतंत्रता में बाधक बनती है। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार श्री विंध्यांचल शक्तिपीठ जो 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है, उस पीठ के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करके वहां पूरी तरह से हिंदू धार्मिक भावनाओं पर आघात कर रही है। इसी प्रकार से मथुरा में भी श्री बांके बिहारी मंदिर के अधिग्रहण की कार्यवाही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जाना सीधे-सीधे धार्मिक आस्था पर प्रहार है।

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को हिंदुओं को प्रदत्त धार्मिक मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रहार होने से रोका जाए।

माननीय अध्यक्ष : शैलेश कुमार जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि शून्य काल में किस प्रकार के मैटर डाले जाते हैं, यह सीख लीजिए। आप दो-दो विषय नहीं उठा सकते हैं, केवल एक ही पर बोल सकते हैं और वह भी जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री केशव प्रसाद मौर्य,

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

डॉ. सत्यपाल सिंह,

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत,

श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल और

श्री रामचरण बोहरा को श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।